30.09.2024

-: आदेश :-

अभिलेख उपस्थापित।

यह विविध वाद अभिलेख सं०-05/2024 आवेदक श्री कालेश्वर राय, पिता- गोपाल राय, पता- कृपालपुर पो०- बरोदाह, थाना- धनवार, जिला- गिरीडीह के आवेदन के आलोक में संधारित किया गया है।

आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक, हल्का सं०-08 श्री राहुल कुमार वर्मा ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अंचल धनवार अंतर्गत मौजा- कृपालपुर, थाना सं०-194, खाता सं०-27, प्लाट सं०-24 एवं अन्य रकबा-1.85 एकड़/ 1.65 एकड़ (अस्पष्ट) ऑफलाईन पंजी II के भाग सं०-02, पृष्ठ सं०-07 पर जमाबंदी कायम है। आवेदक ने Online पंजी II के भाग सं०-02, पृष्ठ सं०-07 पर कायम जमाबंदी में उक्त के आलोक में रकबा 1.85 एकड़ सुधार करने का अनुरोध किया है। राजस्व उपनिरीक्षक ने जमाबंदी कायम करने का आधार दाखिल खारिज वाद सं०-06/1977-78 के कागजात मांगने की अनुशंसा की है ताकि रकबा के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

आवेदक को नोटिस के माध्यम से दा० खा० वाद सं०-06/1977-78 के कागजात की मांग की गई परन्तु आवेदक ने बताया है कि उनके पास वाद का कोई कागजात/शुद्धिपत्र उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मापी के पश्चात दखल कब्जा के आधार पर रकबा में सुधार करने का अनुरोध किया।

आवेदक के मापी आवेदन के आलोक में मापी शुल्क जमा करने हेतु कई बार निदेशित करने के बावजूद उन्होंने मापी शुल्क जमा नहीं किया। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक मापी में कोई रूचि नहीं रखते हैं।

अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.10.01 20:19:18 +05:30
Location: 192.168.136.65

30.09.24

अंचल अधिकारी
धनवार